

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे०

जिलाधिकारी,
बस्ती, गोण्डा, बाराबंकी, मऊ, देवरिया, फैजाबाद, सीतापुर, सन्तकबीरनगर,
ज्योतिबाफुलेनगर, शाहजहांपुर, बरेली, सन्तरविदासनगर, गाजीपुर,
वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, कन्नौज, बांदा, जौनपुर, रुटा, उन्नाव,
पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, श्रावस्ती, बहराहच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर,
गोरखपुर, महराजगंज, आजमगढ़, कूशीनगर एवं बलिया।

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2008

विषय: वर्ष 2008—09 मे० बाढ़ से अतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्पर्तियो॒ की आपदा राहत
निधि अन्तर्गत तात्कालिक मरम्मत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे० शासनादेश संख्या—3750 / 1—10—2007—
12(73) / 2007, दिनांक 05 सितम्बर, 2007 के छन मे० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
शासन की अध्यक्षता मे० राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक: 17 जून,
2008 मे० लिए गये निर्णय के अनुक्रम मे० मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आपदा राहत
निधि के अन्तर्गत कतिपय मामलो॒ मे० जिनमे० राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति को
घनराशि स्वीकृत करने का अधिकार है, उनमे० से वर्ष 2008—09 मे० बाढ़ प्रभावित
जनपदो॒ मे० तात्कालिक प्रयत्नि की अपरिहार्य परिस्थितियो॒ याले पुनर्स्थापना/अनुरक्षण/
मरम्मत कार्यो॒ हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धो॒ एवं शर्तो॒ के अधीन घनराशि व्यय करने का
अधिकार प्रतिनिधानित कर दिया जाय।

2. आपदा राहत निधि से बाढ़ सम्बन्धी कार्यो॒ की अनुमन्यताओ॒ के सम्बन्ध मे०
मार्गदर्शिका के सुसंगत अशो॒ के उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

<u>Repair/restoration of immediate nature of the damaged infrastructure in eligible sectors:</u>	<u>Activities of immediate nature</u>
	➤ An illustrative list of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed Appendix.
➤ Roads & bridges (2) Drinking Water Supply	<u>Time Period</u> ➤ The following time limits are indicated for

<p>Works. (3) Irrigation,(4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Primary Education, (6) Primary Health Centres,(7) Community assets owned by Panchayats.</p> <p>➤ Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/restoration works from their own funds/resources, are excluded.</p>	<p>undertaking works of immediate nature :-</p> <p><u>For Plain areas</u></p> <p>a) 30 days incase of calamity of normal magnitude. b) 45 days in case of calamity of severe magnitude.</p> <p><u>For hilly areas and North Eastern States</u></p> <p>a) 45 days incase of calamity of normal magnitude. b) 60 days in case of calamity of severe magnitude.</p> <p><u>Assessment of requirements</u></p> <p>➤ On the basis of assessment made by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and on the basis of the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF.</p>
---	---

Appendix (to item No. 18)

Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply:

- i. Repair of damaged platforms of Hand pumps/Ring wells/Spring-tapped chambers/Public stand posts, cisterns.
- ii. Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
- iii. Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intakes- structures, approach gantries/ jetties.

2. Roads

- i. Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
- ii. Repair of breached culverts.
- iii. Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
- iv. Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges, repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation:

- i. Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cements, sand bags and stones.
- ii. Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/embankments.
- iii. Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

4. Health

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/Community Health Centers.

5. Community assets of Panchayat

- a. Repair of village internal roads
- b. Removal of debris from drainage/sewerage lines.
- c. Repair of internal water supply lines.
- d. Repair of street lights.
- e. Temporary repair of primary school, Panchayat ghares, community halls, anganwadi etc.

3 बाढ़ से क्षतिग्रस्त अनुमन्य श्रेणी के अवस्थापना कार्यों एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत उपरोक्त निधि से अनुमन्य है, परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि यह मरम्मत कार्य तत्काल करा लिये जायें। अतः समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रक्रियात्मक व्यवस्था भी आवश्यक है।

4.1 बाढ़ से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के उपरोक्तानुसार कार्यों की तात्कालिक मरम्मत कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आगणन तैयार करायेंगे। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य जो आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्ती एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत ₹0 20.00 लाख से अधिक न हों, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय राहत समिति गठित की जाती है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नामित अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, नामित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सदस्य होंगे। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। इसी के तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम स्तरीय अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4.2 यदि प्रस्तावित कार्य की लागत ₹0 20.00 लाख से अधिक, परन्तु ₹0 1.00 करोड़ से अनधिक हो तो, कार्य के अनुमोदन हेतु मंडल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मंडलायुवत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की

जाती है, जिसमें सम्बन्धित ज़िला के ज़िलाधिकारी तथा सिवाई विभाग, लोक निर्माण विभाग के नामित मुख्य अभियन्ता, मडलीय अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नामित अपर मडलायुवत तथा सम्बन्धित विभाग के मडल स्तरीय अधिकारी सदस्य डॉगे। इस समिति के अनुमोदनोपरान्त मडलायुवत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित ज़िलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4.3 जनपद, मडल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा कार्य का अनुमोदन प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स से आच्छादित हो (देखें प्रस्तर-2 उपरोक्त)।

4.4 कार्य से सम्बन्धित विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति के लिए जो व्यंवरथा निर्धारित है, उसका पालन यथावत किया जायेगा। परन्तु इस हेतु कोई भी प्रस्ताव राज्य मुख्यालय पर नहीं जायेगा, वरन् सम्बन्धित समिति/अधिकारी जनपद/मडल स्तर पर जाकर ही परीक्षण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सशोधन मौके पर ही कराकर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। यह इसलिए आवश्यक है कि कार्य पूर्ण करने की समयबद्धता बनी रहे।

4.5 ज़िलाधिकारी एवं मण्डलायुवत शासन द्वारा आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि की सीमा तक ही परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करेंगे। कोषागार नियम-27 से इस गद में कार्यों हेतु धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा धनराशि की आवश्यकता होने पर औचित्य सहित धनराशि की मांग का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.6 तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/ अनुरक्षण/ मरम्मत कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता दाली विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

5. तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/ अनुरक्षण/ मरम्मत कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया को विकोन्ट्रीकृत एवं सरल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे समस्त कार्य बाढ़ रामायि के उपरान्त अविकरता 15 नवंबर, 2008 तक स्वीकृत हो जाय। इस कार्य हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग 15 अगस्त, 2008 तक यथावश्यक शासनादेश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त जारी करायेंगे।

6. बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य जो आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिन

परियोजनाओं की कूल लगत करो 20.00 लाख में अधिक तथा करो 1.00 करोड़ तक हो पर निर्णय लेने हेतु मण्डलायुक्त अधिकृत होने लग 1.00 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं मण्डलायुक्त स्तर पर गठित होनीकी समिति के पश्चात मण्डलायुक्त के माध्यम से राहत अनुबंध को प्रस्तुत की जाती है।

7. बाढ़ से अतिमध्य प्रक्रिया के अनुसार वी जायेगी। परन्तु इस हेतु तैयार प्रस्तावों पर विचारार्थ अधिकृत समिति गण्डल खर पर जाकर स्थानीय अधिकारियों से विचारोपरान्त प्रस्ताव पर निर्णय करेगी, ताकि आवश्यक सशोषण की जड़ी पर उसके एवं गाँच मुख्यालय पर भूम्यनाओं के आदान-पदान में समय व्यर्थ न हो। मण्डलायुक्त के रूप पर स्वीकृति प्रदान करने अथवा राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृति की स्थिति में सस्तुति करने हेतु आवश्यकतानुसार आसन्न तथा विमानाव्यवस्था स्तर से अधिकारी यहाँ जाकर परियोजनाओं का परीक्षण कर तकनीकी स्वीकृति / सरदूति की कार्यताही करेंगे ताकि कोई भी प्रकरण वित्तीय / तकनीकी स्वीकृति हेतु आमने से नहीं प्रेषित किया जाय, बल्कि शासन / विमानाव्यवस्था स्तर के सक्षम तकनीकी अधिकारी सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय पर जाकर मण्डलायुक्त की जटावकाता ने गठित की गयी समिति ने तकनीकी अनुमोदन (Technical Sanction) देंगे।

8. बाढ़ से अतिमध्य सार्वजनिक परिषम्पत्तियों की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत / पुनर्स्थापना के कार्यों का सर्व बाढ़ समाप्ति होने के 05 दिन में अनिवार्य रूप से पूरा करा लिया जाय। तत्पश्चात परियोजनाओं का प्रादकलन प्रस्ताव तथा तकनीकी समिति से अनुमोदन आगामी 05 दिन में प्राप्त करते हुए 15 दिन के अन्दर अनिवार्य कार्य प्राप्त हो जाय एवं 45 दिन में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर इसे ग्रात्मक फैसला सुनिश्चित किया जाय। आवश्यकतानुसार 07 दिन की अवधियां में टेलर आमंत्रित किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

9. आपदा राहत निधि की अनुरागि में से वर्ष 2008 में समावित बाढ़ से प्रभावित व्यवितयों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स की वट राष्ट्रया-18 के अधीन अतिग्रस्त सार्वजनिक परिषम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत / पुनर्स्थापना / अनुरक्षण कार्यों पर भी धनराशि आवश्यकता का निर्धारण करते हुए विभागीय मानकों / लोक निर्माण दिनांक के बोझदूल रेट के अनुसार किया जा सकता है। कार्य की सतत निगरानी / पुण्यवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टारक कोर्स भी गठित करेंगे जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत अनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टारक फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली बनराशि आपदा राहत निधि की गाइडलाइन तथा मानक के अनुसार हो। निरीक्षण आरंभ तथा जौल दल हारा निरीक्षण के दोसान

पायी गयी अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायी जायेगी।

10. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु उपयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी तथा मण्डलायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उवत परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी अनुसोदन संक्षेप स्तर से प्राप्त कर लिया गया है। जिला स्तरीय आपदा राहत समिति, मण्डलायुक्त के स्तर पर गठित समिति के कार्यवृत्त, परियोजना के औचित्य की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि धनराशि का व्यय आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुरूप हो। यदि किसी बिन्दु पर स्थिति अस्पष्ट हो तो शासन से परामर्श अवश्य प्राप्त किया जाय।

11. उक्त स्वीकृत धनराशि से बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रवृत्ति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/पुनर्स्थापना/अनुरक्षण कार्यों को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम बी तथा अन्य सम्बन्धित वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक घरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग—10 में भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यों की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

12. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की छत्रिशी कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत अनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा गय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा उस्ताद्वारित किया जाय और मदवार मासिक व्यय—दिवरण शासनादेश संख्या—1693/ 1—11—2005—रा०—11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध फाराने के साथ ही उवत तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर मी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित अनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी० संख्या—ई—5—/ 1288—दस—2008 दिनांक 28 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एव सचिव।

संख्या—3665(1)/ 1—10—2008—12(73)/ 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, ऐचाई विभाग / लोक निर्माण विभाग / ऊर्जा विभाग / नगर विकास विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / प्रासीण अभियंत्रण सेवा विभाग / पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सम्बन्धित मण्डलायुपत।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० ० लखनऊ।
5. वित्त व्यव नियन्त्रण अनुभाग—५
6. विष्णु वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार चाज़फ्फ अनुभाग—१० / राजस्व अनुभाग—६/ ११ / राजत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
7. गार्ड बुक।

आड्डा से,

(आमोद कुमार)
विशेष सचिव